उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या-586/आठ-3-23-65 विविध/16 टी.सी. II

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2023

विज्ञप्ति

विषयः-उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष के रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्ते, शक्तियां एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के अध्याय-5 एवं उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के अध्याय-6 में वर्णित है।

2- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 की धारा-22 में प्राविधान है कि भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग रियल इस्टेट डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स, संबंधित क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ, प्लानिंग, लॉ, कॉमर्स, एकाउण्टेंसी, इण्डस्ट्री मैनेजमेंट, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स अथवा एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 20 वर्ष का पर्याप्त ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव रखते हो, किन्तु सेवारत होने की स्थिति में केन्द्र सरकार में अपर सचिव अथवा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार में समकक्ष पद धारित करते हो या रहे हो।

3- उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के नियम-18 की व्यवस्था के अनुसार देय होंगे।

4- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति के लिए उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा आवास बन्धु की वेबसाइट https://awas.upsdc.gov.in एवं https://www. awasbandhu.in पर प्रदर्शित लिंक पर दिनांक 20.03.2023 से दिनांक 09.04.2023 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन स्वीकार किये जायेंगे। पृथक से प्रेषित किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष पद पर चयन हेतु शार्ट लिस्ट किये गये आवेदकों के साथ मा0 चयन समिति द्वारा इन्टैरेक्शन किया जायेगा।

5- आवेदन के साथ व्यक्ति को स्वःप्रमाणित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है कि वे जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य है। इस संबंध में विस्तृत विवरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के अध्याय-5 तथा उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के अध्याय-6 में देखा जा सकता है, जो कि उपर्युक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

UPID-187632/15.03.2023 www.upgov.nic.in

CMYK

Scanned with CamScanner